टोल फ़्री नम्बर निदान-1100 में भी COVID-19 से संबंधित शिकायत दर्ज की जा सकेगी

माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में COVID-19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ शासन ने आज महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शहरी क्षेत्र के समस्त नागरिकों हेतु निदान-1100 की सेवाओं में कोरोना वायरस से संबंधित शिकायतों किए जाने के प्रावधान हेतु जोड़ा गया है।

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में निवासरत नागरिक अब टोल फ़्री नम्बर निदान-1100 में भी कोरोना वायरस से संबंधित शिकायत/सुझाव दर्ज करा सकते हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश में COVID-19 के संक्रमण को रोकने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, स्पा, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, क्लब, वॉटर पार्क आदि बंद किए जाने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं। जागरूक नागरिक इस आदेश का उल्लंघन कर रहे संस्थानों/व्यक्तियों की शिकायत 1100 पर फ़ोन कर कर सकते हैं।

इसके साथ ही यदि नागरिकों की जानकारी में कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हाल ही में विदेश यात्रा की हो एवं स्वास्थ्य परीक्षण न कराया हो, ऐसे व्यक्तियों से संबंधित जानकारी भी 1100 पर दी जा सकती है।